नियमावली-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यः

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, नामतः

(1) कुलाधिपति
(2) कुलपति
(3) सम-कुलपति
(4) संकायाध्यक्ष
(5) कुलसचिव
(6) वित्त अधिकारी
(7) परीक्षा नियंत्रक
(8) पुस्तकालयाध्यक्ष और
(9) और ऐसे अन्य अधिकारी को जो विश्वविद्यालय विधि के द्वारा अधिकारी घोषित किए जाएँ।

1. **कुलपति**

(1) कुलपति कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में डिग्री प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह और कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी और निकाय की बैठक मे भाग लेने, सम्बोधित करने का अधिकार होगा परन्तु वोट डालने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य हो।

(3) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम, विधियों, नियमों और विनियमों का विधिवत अनुपालन हो तथा इनके पालन को सुनिश्चित करने की सभी शक्तियां उसके पास होंगी।

(4) कुलपति के पास विश्वविद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखने हेतु सभी शक्तियां होंगी और वह जिस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को वह उचित समझें यें शक्तियाँ सौंप सकता है।

(5) कुलपति के पास कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

(2) **सम-कुलपति**

(1) समकुलपति की नियुक्ति कुलपति की सलाह से कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी, जहां कुलपति की सलाह कार्यकारी परिषद को स्वीकार्य न हो, वहाँ मामला कुलाध्यक्ष को भेजा जा सकता है। जो या तो कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति को चुन सकता है या फिर

उन्हे किसी दूसरे व्यक्ति को नाम कार्यकारी परिषद को भेजने को कह सकता है, इसके अलावा कुलपति की सलाह पर कार्यकारी परिषद किसी प्रोफेसर को अपने कर्त्तव्यों के अलावा सम-कुलपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने को कह सकती है।

(2) सम-कुलपति के पद की अवधि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित समय की तक रहेगी लेकिन यह किसी भी स्थिति में पाँच साल से अधिक नहीं होगी अथवा कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगीः आगे सम-कुलपति अपने कार्यकाल के पूरा होने के बाद पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। सम-कुलपति किसी भी मामले में 70 साल की आयु प्राप्त होन पर सेवानिवृत होंगे, सम-कुलपति धारा(7) संविधि 2 के तहत कुलपति के कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्यालय में तब तक बनें रहेंगे जब तक सम-कुलपति के रुप में उनके कार्यालय की समयावधि है और कुलपति अपने कर्त्तव्य पर वापस नहीं आ जाते या नया कुलपति कार्यालय में नहीं आता है, जैसी भी स्थिति हो।

(3) सम-कुलपति की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा परिलबध्याँ इस रुप में रहेंगे जैसी अध्यादेश में निर्धारित की गई है।

(4) सम-कुलपति ऐसे मामलों में जो कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए हो में कुलपति की सहायता करेंगे और उन शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे तथा कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे जो कुलपति द्वारा सौंपे गए हो।

(3) **स्कूलों के संकायाधयक्षः**

(1) प्रत्येक स्कूल के संकायाधयक्षः की नियुक्ति कुलपति द्वारा आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर आर्वतन स्वरुप 3 वर्ष के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि किसी स्थिति में केवल एक ही आचार्य है या नहीं है तो वह किसी सहआचार्य को नियमित आर्वतन के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर कोई संकायाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो, अथवा, बीमारी हो या अनुपस्थित हो या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो या जो भी स्थिति हो तो सबसे वरिष्ठ आचार्य या सहआचार्य द्वारा संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष स्कूल के अध्यक्ष होंगे तथा शिक्षण और अनुसंधान के मानकों को बनाए रखने और संचालन करने तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों के निर्वाह के लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) संकायाध्यक्ष को स्कूल के अध्ययन मंडलों व समितियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा,परन्तु वोट डालने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उस समिति का सदस्य नहीं है।

(4) **कुलसचिव**

(1) कुलसचिव की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर कार्यकारी परिषद करेगी जो विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) इनकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) कुलसचिव की परिलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगा। कुलसचिव 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत होगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या बीमारी, अनुपस्थिति, किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उसके दायित्वों का निर्वाह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति द्वार इस आशय के लिए नियुक्त किया गया हो।

(5) (क) कार्यकारी परिषद के आदेश में विनिर्देष्ट हो, कुलसचिव को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, शिक्षकों एवं शैक्षिक स्टाफ को छोडकर, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जाँच लंबित रहते, निलंबित करने, उन्हे चेतावनी देने, सेंसर का दंड देने अथवा उनकी वेतनवृध्दि रोकने का जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति होगी । परंतु तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाऐगा जब तक व्यक्ति को अपने बात रखने का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

(ख) उपखंड(क) में निर्दिष्ट किसी भी दंड के खिलाफ कुलपति से अपील की जा सकती है।

(ग) किसी मामले में जहाँ यह खुलासा हो कि कुलसचिव ने अपनी शक्ति से परे दंड दिया है तो कुलसचिव से जांच के निष्कर्ष पर एक प्रतिवेदन अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति को देने के लिए कहा जा सकता है। कुलपति द्वारा किसी भी दंड के आदेश के खिलाफ कार्यकारी परिषद में अपील की जा सकती है।

(6) कुलसचिव कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद का पदेन सचिव होगा परंतु वह इन प्राधिकारों का सदस्य नहीं होगा और वह कोर्ट का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(7) कुलसचिव के कर्त्तव्य इस प्रकार होंगेः-

(क) अभिलेखों आम मोहर और कार्यकारी परिषद द्वारा इस तरह की विश्वविद्यालय की अन्य संपति का अभिरक्षक होगा।

(ख) कोर्ट, कार्यकारी व शैक्षणिक परिषद और इन प्राधिकारियों के द्वारा स्थापित अन्य समितियों की बैठकों को आयोजन के सभी नोटिस जारी करना।

(ग) कार्यकारी व शैक्षणिक परिषद और इन प्राधिकारियों के द्वारा स्थापित अन्य समितियों की बैठकों को कार्यवृत्त रखना।

(घ) कोर्ट, कार्यकारी व शैक्षणिक परिषद का कार्यालयी पत्राचार करना।

(ई) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यप्रणाली और कार्यवृत्त जारी करने के तुरन्त बाद कुलाध्यक्ष को इनकी प्रति भेजना।

(च) विश्वविद्यालय के द्वारा अथवा के विरुध मुकदमें मे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना, तथा अपीलों का सत्यापन करना अथवा इस अशय से अपना प्रतिनिधित्व करना और विनियमों में निर्दिष्ट अथवा कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वाह करना।

(छ) विधियों, अधिनियमों, और विनियमों में निर्दिष्ट अथवा कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वाह करना ।

5. **वित्त अधिकारी**

(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति चयन के आशय से गठित एक चयन समिति की सिफीरिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा पुनःर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) वित्त अधिकारी की परिलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर किया जाऐगा। वित्त अधिकारी 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत होगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कुलपति द्वारा इस आशय से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसके कर्त्तवयों का निर्वाह किया जाएगा।

(5) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होंगे परंतु वह इस समिति का सदस्य नहीं होगा।

(6) वित्त अधिकारी करेगाः-

(क) विश्वविद्यालय की निधि का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और वह वित्तीए नीतियों के विषय में अपनी सलाह देना और

(ख) कार्यकारी परिषद के द्वारा सौंपे गए या विधियों और अध्यादेश में निर्दिष्ट कर्त्तव्यों का पालन करना।

(7) कार्यकारी परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी करेगा

(क) ट्रस्ट विन्यास संपत्ति सहित विश्धिद्यालय की संपत्ति तथा निवेशों को संभालेगा और नका प्रबंधन करेगा।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यकारी परिषद के द्वारा एक वर्ष के लिए तय आवृत्तिमूलक और गैर आवृत्तिमूलक से अधिक न हो, तथा पूरी धनराशी जिस उद्देश्य हेतु आवंटन की गई है उसी पर खर्च हो रही है।

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और बजट तैयार करने तथा इसे कार्यकारी परिषद के सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) नकदी और बैंक शेष तथा निवेश की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा।

(ङ) राजस्व वसूली की प्रगति पर नजर रखेगा तथा उसे संग्रह करने के तरीके सुझाना।

(च) यह सुनिश्चित करना कि इमारतों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टर का रखरखाव अद्यतन रुप से किया जाता हैं तथा सभी विभागों, केन्द्रों, और विशिष्ट प्रयोगशालाओं के उपकरणों और उपभोज्य सामग्री के भंडार की जांच करेगा।

(छ) अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी कुलपति को देगा तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देगा और

(ज) अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक सूचना विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय, विभाग, केन्द्रों, प्रयोगशाला, कॉलेज या संस्थान से करेगा और उसे लौटाएगा।

(झ) कोई रसीद जो वित्त अधिकारी या व्यक्ति या इस संबंध मे कार्यकारी परिषद के द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति के द्वारा विश्वविद्यालय के भुगतान हेतु प्रस्तुत रसीद के भुगतान हेतु वित्त अधिकारी पर्याप्त शक्ति रखता है।

6. **परीक्षा नियंत्रक**

(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस आशय से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होंगी। परीक्षा नियंत्रक 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो या वह बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे में कुलपति द्वारा इस आशय से नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा उसके कर्त्तव्यों का निर्वाह किया जाएगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक अध्यादेश द्वारा निर्धारित तरीके से परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था करेगा तथा उनकी देखभाल करेगा।

7. **पुस्तकालयाध्यक्ष**

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति इस आशय से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपी गई शकितयों और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।